प्रसार भारती
भारत का लोक सेवा प्रसारक
एच.पी.टी. आकाशवाणी
मलाड प मुंबई – 95

सं –एचपीटी मलाड / 29(2) /2022-23/जी/ 127

दिं –20 / 10 / 2022

टेंडर नोटिस

उपमहानिदेशक अभियांत्रिकी कार्यालय एचपीटी आकाशवाणी, मालवणी मार्वे रोड, मलाड (प) मुंबई –95. के परिसर में जोखिम जगह के अलावा लगभग दो सौ एकर क्षेत्रफल का घास कटौती / निलामी हेतु उच्च श्रेणी के बोली लगानेवाले निविदाकारों से मोहरबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किया जा रहा है ।घास कटौती नियत अवधि दिं–10–11–2022 से 09–11–2023 तक ही सीमित रहेगी । इससे अधिक अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी । घास कटौती / खरीदी केलिए इच्छुक निविदाकारों से मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किया जा रहा है ।

कोटेशन के साथ निविदाकारों को रु 2000 / –;रुपए दो हजार केवल की धनराशि बयाना के रुप में जमा करनी होगी, अथवा रु 2000 / – का डिमांड ड्राफट " प्रसार भारती एचपीटी आकाशवाणी मलाड के नाम से भेजना होगा । कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31.10.2022 दोपहर 12.00 **बजे** तक और दि .31.10.2022 को 3.30 बजे उपस्थित होने इच्छुक उन निविदाकारों की उपस्थिति में टेंडर खोला जाएगा।

जी एन खानझोडे 20.10/22
सहायक अभियंता
कृते उपमहानिदेशक(अभियांत्रिकी)
एच.पी.टी. आकाशवाणी
मलाड प मुंबई – 95

निबंधन तथा शर्तें

दिं 09–11–2023 के पूर्व घास काटकर एचपीटी आकाशवाणी मलाड (प) परिसर से बाहर निकालना और घास कटाई अवधि समाप्ति के पश्चात किसी भी व्यक्ति को घास काटने या निकालने हेतु आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

1.ठेकेदार इस बात का ध्यान रखें कि घास कटौती के समय जंगली घास अथवा किसी भी प्रकार का घास अधकटा न छोडे और ना ही काटना शेष रखें ।

2.करार जारी के दौरान उपमहानिदेशक ;अभियांत्रिकी को यह पूर्ण अधिकार है कि उनके इच्छानुसार सड़कमार्ग, रोडसाईड, तथा आवास गृह के आस–पास की जगह में घास कटवाने/साफ–सुथरा रखने का निर्देश दे सकते है, ताकि सांप/जहरीली जंतुओं से राहत मिल सकें, और उन्हे यह भी अधिकार है कि आवासी सुरक्षा/आवास गृह के आस–पास का घास ट्रान्समीटर्स इमारत के आस–पास फीडर सडकमार्ग रोडसाईड में बढ़ते हुए घास को रोकने हेतु कोई अन्य उपाय भी करने का सुझाव दें सकते है ।

3.उपमहानिदेशक ;अभियांत्रिकी के आदेश का उचित एवं कडा अनुपालन हो जिसमें किसी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विधिवत्त हस्तक्षेप न हो । पुलिस सत्यापन के आधार पर इस कार्यालय के सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिन श्रमिको को प्रवेश पत्र जारी किया हो इनके अलावा ठेकेदार किसी भी अनधिकृत/अन्जान व्यक्तियों को आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने न दें ।

4.सरकारी संपत्ती या आकाशवाणी परिसर में संस्थापित संपत्ती को लापरवाही से नुकसान पहुँचाने पर नुकसान भरपाई का निर्धारण उपमहानिदेशक ;अभियांत्रिकी करेंगें ।

5.अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार है कि निबंधन तथा शर्तें के अनुशासन का उल्लंघन करने पर तथा सार्वजनिक सेवाहित में यदि आवश्यकता पडने पर किसी भी वक्त निविदा करार को समाप्त कर सकते हैं । इसीलिए ठेकेदार को इस बात का ध्यान रखना जरुरी है कि निविदा अवधि में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दर्शाए गए निबंधन तथा शर्तों का कडा अनुपालन करें ।

6. किसी भी प्रकार के वाद–विवाद के मामलों में उपमहानिदेश ;अभियांत्रिकी का निर्णय अतिंम रहेगा।

7.घास कटवाने के दौरान यदि किसी मजदूर को कोई भी नुकसान या दुर्घटना होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।यह कार्यालय किसी भी दुर्घटना हेतु जिम्मेदार नहीं होगा ।

जीएनखानझोडे 20.10.22

जी एन खानझोडे
सहायक अभियंता
कृते उपमहानिदेशक(अभियांत्रिकी)
एच.पी.टी. आकाशवाणी
मलाड प मुंबई – 95